न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्याः 216 / 2023 (जी.सी.एम.एस. 2023 / 267)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मनजिन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गली नम्बर 7 सेतिया फार्म, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		1. गुरदयाल सिंह अटवाल पुत्र सुन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी हंडियाया तहसील व जिला बरनाला पंजाब।
2. मनजीत सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 3 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		2. जसवंत सिंह अटवाल पुत्र सुन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी हंडियाया तहसील व जिला बरनाला पंजाब।
3. सुखविन्द्र कौर पत्नी इन्द्रजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 3 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 22.06.2023

उपस्थितः 1.श्री मंगतराम नागपाल अधिवक्ता वादीगण
2. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2
3.श्री रमेश चन्द्र गुप्ता अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4

--निर्णय--

दिनांकः 08.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 3 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 13/15 के मुरब्बा नम्बर 32, 36, 62/14 की कुल 12.393 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादीगण का 1/9-1/9 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/3-1/3 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार से पंजाब के गांव धनौला खुर्द में प्रतिवादीगण व वादीगण का हिस्सा दर्ज है। वादीगण का चक 3 ओ में स्थित भूमि मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1 से 25 तथा मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 14 की 0.126 हैक्टेयर भूमि मय खाला कब्जा में चली आ रही है। जिन्हे वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण पंजाब के निवासीगण है। उनके कब्जा में गांव धनौला खूर्द की कृषि भूमि चली आ रही है। जिन्हे प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि होने के कारण परिवार के सदस्यों द्वारा मौखिक तौर पर भूमि का विभाजन करते हुए चक 3 ओ तहसील श्रीकरणपुर की भूमि वादीगण को दी तथा इसके बदले में पंजाब में स्थित भूमि प्रतिवादीगण ने प्राप्त की, जो प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादीगण द्वारा चक 3 ओ की कृषि भूमि काफी राशि खर्च कर उपजाउ बनाई है तथा बैक से ऋण लेकर सुधार किया है। जिस पर वादीगण का कब्जा 30 वर्षो से अधिक होने के कारण कब्जा मुखाल-फाना हो चुका है। प्रतिवादीगण के परिवार के सदस्यों के मन में लालच आ गया है तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम होने के कारण वादीगण के कब्जा की भूमि पर मदाखलत बेजा करन चाहते है। इस सम्बन्ध में उन्हें काफी बार आग्रह किया कि पंजाब में स्थित भूमि जिनमें प्रतिवादीगण के साथ हम वादीगण का भी नाम होने से हक व हिस्सा बनता है, आपको दी हुई है तथा चक 3 ओ की भूमि प्राप्त की हुई है। आप हमारे कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे। परन्तु प्रतिवादीगण के मन में लालच होने के कारण दिनांक 14.06.2023 को स्पष्ट इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को चक 3 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 13/15 के मुरब्बा नम्बर 32, 36, 62/14 की कुल 12.393 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 1/3-1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किए जाने आदेश दिये जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेश किया। सामिल मिसल किया गया। जिसके अनुसार उक्त वादपत्र प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने व प्रतिवादीगण का हिस्सा दबाने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए वादीगण का वादपत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मनजिन्द्र सिंह आदि बनाम गुरदयाल सिंह आदि
[illegible]
[illegible]

4 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं करने पर [illegible] किया गया। [illegible] के द्वारा जवाब [illegible] पेश किया, जो सामिल मिसल किया गया। वादीगण मनजिन्द्र सिंह, मनजीत सिंह, सुखविन्द कौर व प्रतिवादीगण गुरदयाल सिंह अटवाल, जसवन्त सिंह अटवाल के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा [illegible] दोनों पक्षो के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। [illegible] किया जाकर सामिल मिसल किया गया। राजीनामा के अनुसार चक 3 ओ [illegible] लखिया, भू.अ.नि. क्षेत्र लखिया की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 13/15 के मुरब्बा नम्बर 32, 36, 62/14 की कुल 12.393 हैक्टेयर भूमि प्रथम पक्ष के [illegible] चली आ रही है व काश्त करते आ रहे है। इस कारण आपसी सहमति से यह भूमि प्रथम पक्ष मनजिन्द्र सिंह आदि को दी गई है। तथा उसके स्थान पर गांव मनीवाला [illegible] की भूमि जो प्रथम पक्ष मनजिन्द्र सिंह वगैरा के नाम से दर्ज है वह भूमि द्वितीय पक्ष गुरदयाल सिंह अटवाल आदि के कब्जा में है। जिसका द्वितीय पक्ष ही मालिक व काबिज [illegible] द्वितीय पक्ष द्वारा अपने नाम दर्ज करवाने पर प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए वादपत्र मे अंकित चक 3 ओ के मुरब्बा नम्बर 32, 36, 62/14 की कुल 12.393 हैक्टेयर भूमि की डिक्री प्रथम पक्ष मनजिन्द्र सिंह वगैरा के पक्ष में पारित की जाती है, तो गुरदयाल सिंह अटवाल को कोई आपत्ति नहीं होगी। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजीनामा वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त हुई। सामिल मिसल की गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज किया कि हस्तगत प्रकरण में वादगत भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है। जो पैतृक भूमि है। इसलिए प्रकरण में हकत्याग के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाई जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1, 2 के जवाबदावा, राजीनामा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर चक 3 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 13/15 के मुरब्बा नम्बर 32, 36, 62/14 की कुल 12.393 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 गुरदयाल सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 जसवन्त सिंह के नाम दर्ज कुल 8.262 हैक्टेयर भूमि का वादीगण मनजिन्द्र सिंह, मनजीत सिंह, सुखविन्द्र कौर को बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

मनजिन्द्र सिंह आदि बनाम गुरदयाल सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 188, 92ए, 209 आरटीए

मुकदमा नम्बर 216/2023

निर्णय दिनांक :- 08.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री मंगतराम नागपाल, प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा, श्री रमेश चन्द्र गुप्ता उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर चक 3 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 13/15 के मुरब्बा नम्बर 32, 36, 62/14 की कुल 12.393 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 गुरदयाल सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 जसवन्त सिंह के नाम दर्ज कुल 8.262 हैक्टेयर भूमि का वादीगण मनजिन्द्र सिंह, मनजीत सिंह, सुखविन्द्र कौर को बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 08.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	1450	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1454**	**00**	योग	04	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 08.08.2024

क्रमांक: रीडर/2024/460

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)